

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं जिनमें "वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल प्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और "वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी" पर विषय विशिष्ट अनुपालन (एसएससीए) लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

अध्याय 1

इस अध्याय में लेखा परीक्षा की योजना और सीमा के साथ-साथ विभागों के राजस्व पर एक संक्षिप्त विश्लेषण और लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर शासन की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है।

वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ शासन की कुल प्राप्तियां ₹ 93,877.13 करोड़ थीं। राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व ₹ 48,370.54 करोड़ था। जिसमें ₹ 33,122.30 करोड़ का कर राजस्व और ₹ 15,248.24 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व शामिल था। भारत सरकार से प्राप्तियां ₹ 45,506.59 करोड़ थीं (विभाज्य संघीय करों की राज्यों की हिस्सेदारी ₹ 32,358.26 करोड़ और अनुदान ₹ 13,148.32 करोड़)। इस प्रकार राज्य शासन का अपना योगदान कुल राजस्व का 52 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.2)

राजस्व की बकाया राशि ₹ 8,585.80 करोड़ राज्य के छः विभागों (खनन, आबकारी, परिवहन, विद्युत, पंजीकरण और बिक्री कर, व्यापार आदि) में लंबित थी। कुल बकाया राशि में से ₹ 4,371.29 करोड़ पांच साल से अधिक समय से लंबित थे। चार विभागों अर्थात् वन, लोक निर्माण, भू-राजस्व और जल संसाधनों ने कोई जवाब नहीं दिये इसलिए राजस्व की बकाया राशि के बारे में जानकारी रिपोर्ट में शामिल नहीं की जा सकी।

(कंडिका 1.4)

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 221 कंडिकाओं पर चर्चा की एवं 141 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गई। कार्रवाई किए जाने के नोट (एटीएन) 75 कंडिकाओं के संबंध में प्राप्त नहीं हुए हैं।

(कंडिका 1.5.1)

31 मार्च 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) के विश्लेषण में पाया गया कि 1994-95 और 2022-23 के बीच जारी 2,377 नि.प्र. से संबंधित 10,401 कंडिकाएं अप्रैल 2024 के अंत तक लंबित थीं। 2022-23 के दौरान जारी 92 नि.प्र. में से कार्यालयों के प्रमुखों से 43 नि.प्र. (46.74 प्रतिशत) के संबंध में पहली प्रतिक्रिया तक लेखापरीक्षा को नहीं मिली।

(कंडिका 1.5.2)

अध्याय 2

यह अध्याय “वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे-बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। इस अध्याय में प्रस्तुत लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

“वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे-बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

लेखा परीक्षा में ई-वे बिल प्रणाली के कामन पोर्टल में कमियां देखी गईं। ई-वे बिल प्रणाली ने कंपोजिट करदाता को अंतर-राज्यीय व्यापार हेतु, निरस्त किये गये करदाताओं को, जोखिमपूर्ण वाहनों/दो-पहिया वाहनों से किये गये लेन-देन हेतु, निरंक विवरणी भरने वाले करदाताओं तथा विवरणी नहीं भरने वाले कर दाताओं को ई-वे बिल तैयार करने की अनुमति दी। इस प्रणाली ने समान/एक जैसे चालान के लिए एक से अधिक ई-वे बिल तैयार करने की भी अनुमति दी।

(कांडिका 2.11.1)

लेखा परीक्षा में अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुपालन न होने के 29 प्रकरण पाए गए, जिनमें कर देयता का निर्वहन न करना (20 प्रकरण), अयोग्य आईटीसी का लाभ लेना (चार प्रकरण) तथा आईटीसी का गलत हस्तांतरण (पांच प्रकरण) में ₹ 20.34 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था।

(कांडिका 2.11.2)

लेखा परीक्षा ने 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि में 30 वृत्तों के 1,719 करदाताओं के जोखिम आधारित नमूने (मूल लेखा परीक्षा नमूना को छोड़कर) के ई-वे बिल आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया गया कि ई-वे बिल प्रणाली में कंपोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय ई-वे बिल के बनाने, निर्धारित सीमा से अधिक कारोबार करने वाले कंपोजिट करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने, जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाने, निरस्त किये गये करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने तथा एक ही चालान पर डुप्लीकेट ई-वे बिल बनाने की अनुमति दी।

(कांडिका 2.11.5)

लेखा परीक्षा ने प्रवर्तन इकाई द्वारा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनो के उपयोग की प्रभावशीलता की जांच करने एवं आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 2018-19 से 2021-22 की अवधि में बाह्य आपूर्ति के लिए राज्य में 25 ई-वे बिल बिना पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके नाम से बनाये गये, जिनका मूल्यांकन योग्य राशि ₹ 34.77 करोड़ रुपये था। इनमें से प्रत्येक ई-वे बिल का मूल्यांकन योग्य राशि मूल्य ₹ 40 लाख से अधिक था।

(कांडिका 2.12.2.1)

लेखा परीक्षा में ई-वे बिल कामन पोर्टल पर तैयार की गई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों के उपयोग में भी कमियां पायी गईं। लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच चयनित करदाताओं के प्रकरणों में बाह्य आपूर्ति के लिए जून 2021, अगस्त 2021 और मार्च 2022 में 143 ई-वे बिल बनाये गये, जिनका मूल्यांकन योग्य राशि ₹ 16.33 करोड़ था जिसके लिए बी-1 प्रतिवेदन के अनुसार ई-वे बिलों में दर्ज वाहनों की कोई वास्तविक आवाजाही दर्ज नहीं थी। लेखा परीक्षा में समस्त करदाताओं के इन ई-वे बिलों में उल्लिखित देयको एवं उससे संबंधित जीएसटीआर-1 विवरणी का जांच किया गया एवं पाया गया कि बिना

वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही के ही ₹ 2.94 करोड़ का अनियमित आईटीसी हस्तांतरित की गई।

(कंडिका 2.12.2.2)

लेखा परीक्षा ने विभाग में कर चोरी रोकथाम उपायों की प्रभावशीलता की भी जांच की एवं पाया कि ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की रोकथाम/प्रवर्तन गतिविधियां पर्याप्त नहीं थी। इसके लिए आयुक्त कार्यालय, रायपुर में दर्ज 603 प्रकरणों में से 50 प्रकरणों की जांच की गई जिसमें से 30 प्रकरणों में विभाग द्वारा वाहनों की रोकथाम के दौरान वसूल किये गये कर और जुर्माने के समायोजन में 8 से लेकर 1981 दिनों की देरी पाई गई।

(कंडिका 2.13)

अनुशांसाएँ:

1. ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने की आवश्यकता है:
 - अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति से ई-वे बिल बनाने के लिए समग्र लेवी योजना करदाता को रोकना;
 - निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने पर प्रतिबंध;
 - कई ई-वे बिल बनाने में समान/समरूप बीजक के उपयोग पर रोकथाम;
 - माल के परिवहन के लिए वाहन डेटाबेस के माध्यम से उपयुक्त वाहन विवरण के सत्यापन के बाद ही ई-वे बिल बनाना सुनिश्चित करना;
 - उन करदाताओं के लिए ई-वे बिल बनाने की सुविधाओं को अवरुद्ध करें जिन्होंने निर्धारित अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं किया है।
2. विभाग निम्न कार्य कर सकता है:
 - सीबीआईसी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभिलेखों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश करें;
 - ई-वे बिल के सत्यापन एवं एक ही पैन पर उनके पंजीकरण किये गये करदाताओं के विवरणियों की जांच हेतु दिशा-निर्देश जारी करें;
 - करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में कमियों का पता लगाने के लिए एनआईसी द्वारा तैयार ई-वे बिल की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का उपयोग करें और विवरणी की जांच में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ साझा करें;
 - माल की आवाजाही के बिना आईटीसी हस्तांतरित होने के प्रकरणों को रोकने के लिए जीएसटीएन सामान्य पोर्टल के साथ एनआईसी ई-वे बिल तंत्र के विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन मॉड्यूल की मैपिंग करने पर विचार करें;
 - वाहनों की अवरोधन के दौरान एकत्र किए गए कर और शास्ति सही थे और क्या उन्हें समायोजित किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए दर्ज किए गए शेष प्रकरणों को सत्यापित करें।

(कंडिका 2.15)

अध्याय 3

यह अध्याय "जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिल करने पर विभाग की निगरानी चरण-II" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबन्धित है। इस अध्याय में दर्शाए गए लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित है:

**“जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिल करने पर विभाग की निगरानी चरण- II”
नामक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा**

जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिल करने पर विभाग की निगरानी नामक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा विवरणियों के दाखिले एवं कर के भुगतान और विभाग के अन्य निगरानी वाले कार्यों के निरीक्षण की पर्याप्तता एवं अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के उद्देश्य से की गई थी।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित थी जिसने जोखिम क्षेत्रों, संभावित खतरों एवं कुछ प्रकरणों में 2018-21 के लिए दाखिल किए गए जीएसटी विवरणियों में नियम आधारित विचलनों एवं तार्किक विसंगतियों को इंगित किया है। यह एसएससीए राज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ के निगरानी वाले कार्यों के मूल्यांकन को दो स्तरों पर करने हेतु यथा वैश्विक डेटा क्वेरीज के माध्यम से डेटा स्तर पर और वृत्तों एवं जीएसटी विवरणियों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के माध्यम से कार्यान्वयन स्तर पर जिसमें करदाताओं के अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया। अतः लेखापरीक्षा के नमूनों में 10 वृत्त, वैश्विक क्वेरीज के माध्यम से चयनित 641 प्रकरणों जिनमें 17 पैमानों में मूल्यांकन की विसंगतियां थी और जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु 2018-21 के लिए चयनित 70 करदाता शामिल थे।

लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए उच्च मूल्य वाले 641 विसंगतियों वाले प्रकरणों में विभाग ने सभी में उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 184 प्रकरण जो कुल का 28.71 प्रतिशत हैं, उनमें ₹ 297.36 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ अनुपालन कमियाँ सामने आईं। विभाग ₹ 2.46 करोड़ की वसूली कर चुका है। अतिरिक्त आईटीसी लिए जाने, आपूर्तिकर्ता के कर जमा नहीं करने के बावजूद आईटीसी लिए जाने और कर देयता का निर्वहन नहीं करने और जीएसटीआर 3बी का दाखिला नहीं करने से संबन्धित अपेक्षाकृत उच्च दर पर अनुपालन की कमियाँ देखी गईं। जबकि आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ 6.71 प्रतिशत प्रकरणों में विसंगतियों का कारण बनीं और 7.33 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग ने सक्रिय कार्यवाई कर ली है।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा ने भी गैर-अनुपालन की घटनाओं को निर्दिष्ट किया। प्रारम्भ में 70 करदाताओं (210 प्रकरण) के नमूने में से 37 प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, जीएसटीआर 2ए एवं अन्य अपेक्षित आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके चलते लेखापरीक्षा का दायरा काफी सीमित हो गया। ये प्रकरण उपभोग किये गए आईटीसी एवं कर भुगतान में पहचानी गई विसंगतियों के कारण ₹ 429.62 करोड़ राशि के संभवित जोखिम को दर्शाते हैं। 33 करदाताओं की विवरणियाँ/ग्रेनुलर अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा ने ₹ 79.18 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 23 अनुपालन कमियाँ पायीं गईं। विभाग ₹ 41.87 करोड़ राशि की वसूली कर चुका है। इनके मुख्य कारणकारी कारक अपात्र/अतिरिक्त आईटीसी का उपभोग, आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान एवं ब्याज का शून्य/कम भुगतान थे।

ऐसे प्रकरणों में जिनमें उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया उनके समयबाधित होने से पहले विभाग को सुधारात्मक उपाय जरूर शुरू करने चाहिए। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से विभाग को विवरणियों के दाखिल करने, करदाता अनुपालन, पंजीयन निरस्तीकरण एवं त्रुटिकर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अनुशंसाएँ:

- विभाग अनिर्वहित कर देयता की जाँच हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने और उस पर की गई कार्यवाई की स्थिति की निगरानी कर सकता है।
- विभाग प्रकरणों के समयबाधित होने से पहले एक निश्चित समयावधि में संपरीक्षा की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकता है।
- विभाग जीएसटीएन के परामर्श से डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा हेतु जीएसटी विवरणियों में सत्यापन नियंत्रण लागू कर सकता है। विभाग विसंगतियों का पता लगाने हेतु उपयुक्त एल्गोरिद्म का भी उपयोग कर सकता है।
- लेखापरीक्षा को ग्रेनूलर अभिलेख प्रदान करने के लिए राज्य कर विभाग को क्षेत्रीय संरचनाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने की जरूरत है।

(कंडिका 3)